न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 14/2017

अपीलान्ट्स

बंशीलाल पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी – रोहिचा कला तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर जो प्रकरण सं0 09/16 में दिनांक 24.08.2016 को पारित किया गया।

– – –

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र प्रसाद गेंवा।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक : 08.05.18

यह अपील अपीलान्ट के अभिभाषक महेन्द्र प्रसाद गेंवा द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर जो प्रकरण सं0 09/16 में दिनांक 24.08.2016 को पारित किया गया को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि गाँव रोहिचा कला तहसील लूणी के खसरा नं0 361/361/1 की भूमि अपीलान्ट के खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि से 4.18 बीघा भूमि खातेदार को बताये बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये बिना फींच धुन्धाड़ा जाने वाली सड़क के लिए आवाप्त की गई थी। जहाँ मौके पर डामर सड़क बनी हुई है। सड़क सीमा छोड़कर अपीलान्ट की शेष 1 बीघा भूमि आई है। सड़क सीमा को छोड़कर अपीलान्ट द्वारा अपने खातेदारी भूमि में खाई लगाइ हुई थी। यह खाई आस पड़ौस की खातेदार द्वारा सड़क सीमा छोड़कर की गई बाड़ के बराबर थी। फिर भी तहसीलदार लुणी द्वारा पडौसी खातेदारों से मिलीभगत कर पटवारी हल्का को निर्देश देकर धारा 91 का मामला बनाकर पेश करवाया गया। जबकि अपीलान्ट की भूमि के आगे उसी लाइन में अन्य व्यक्तियों द्वारा सड़क सीमा में बाड़ की गई है। जिसको हटाने के लिए अपीलान्ट ने तहसीलदार लुणी को दिनांक 28.

07.2011 को आवेदन पत्र पेश किया था। तहसीलदार लुणी ने इस पर जाँच कर धारा 91 का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सड़क सीमा की भूमि पी डब्लू डी के खाते में दर्ज है। सड़क की रखरखाव की जवाबदारी पी डब्लू डी की है। अगर सड़क सीमा में कोई अतिक्रमण है तो पी डब्लू डी के प्रार्थना–पत्र पर ही तहसीलदार बेदखली की कार्यवाही कर सकता है। केवल पड़ौसी के खातेदार के कहने से उनसे मिलीभगत कर प्रार्थी को धारा 91 का नोटिस देकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। इस से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार लुणी ने लिखित में जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त की गई। प्रकरण में अपीलान्ट के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस दिनांक 11.04.2018 को सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस शुरु करते हुए प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकरण में विधिवत् सुनवाई किये बिना ही जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया की गाँव रोहिचा कला तहसील लूणी के खेत खसरा नं0 361,361/1 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। इस भूमि में से 4.18 बीघा भूमि पर फिंच से धुन्धाड़ा जाने वाली सड़क के लिए 1965 में आवाप्त की गई थी। सड़क के दक्षिण की तरफ क हिस्से में अपीलान्ट की 1बीघा भूमि बची हुई है। अपीलान्ट अपनी फसल की सुरक्षा के लिए 50 फुट सड़क सीमा छोड़ दी थी। ताकि आवारा जानवरों से फसल की सुरक्षा हो सकें। इस पर पड़ौसी खातेदार अपीलान्ट के विरूद्ध रास्ते का विवाद चल रहा है के कहने से धारा 91 का नोटिस तहसीलदार लूणी के मार्फत दिलवाया गया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने तहसीलदार लूणी को अपनी शेष बची 1 बीघा भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन सीमाज्ञान नहीं करवाकर प्रार्थी व उसके सहखातेदारों को बिना सुनें आदेश दिनांक 24.08.2016 को पारित कर दिया। इस भूमि में प्रार्थी के अलावा दस अन्य खातेदार भी है जिनको नोटिस देकर नहीं सुना गया। विवादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान के बिना अपीलान्ट के खेत की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इस बाबत् अपीलान्ट ने तहसीलदार को प्रार्थना–पत्र भी पेश किया था, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि सीमा ज्ञान हो जाने पर यदि अपीलान्ट का अतिक्रमण है तो वह अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार को रिमाण्ड किया जावें।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया, इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि पटवारी हल्का रोहिचा कला ने पी डब्लू डी की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर एक रिपोर्ट संवत् 2073 खरीफ के दौरान खसरा नं0 391/361 रकबा 0.06 बिस्वा की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की। तहसीलदार ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 09/2016 सरकार बनाम बंशीलाल दर्ज किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकील एम0 पी0 गेंवा ने वकालतनामा प्रस्तुत कर लिखित में बहस प्रस्तुत की, लिखित बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया जाये। सीमाज्ञान के पश्चात यदि प्रार्थी का अतिक्रमण पाया जावे तो वह अपना हटाने के लिए तैयार है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.08.2016 के पर कोई निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया।

इस प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया कि खसरा नं0 361, 361/1 के संयुक्त खातेदारी भूमि है लेकिन पटवारी हल्का ने बंशीलाल पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल के विरूद्ध ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2016 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 का खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी का नाप–चौप(सीमाज्ञान) पक्षकारों के अरू–बरू किया जावें। यदि मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जावें तो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण नियमानुसार निर्णय पारित करें।